

फर्दअहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, उदयपुर

वादी - खेमा

बनाम

प्रतिवादी - कंकु बाई

किरम मुकदमा-प्रार्थना पत्र

प्रकरण संख्या 26/19


दिनांक 13.09.2021

पत्रावली पेश हुई प्रार्थी उपस्थित नहीं हुआ प्रकरण में प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा पूर्व में दिनांक 05.08.2021 को नो इन्स्ट्रक्शन अर्कित किया जा चुका है। प्रार्थी को नोटिस द्वारा सूचित किया गया। प्रार्थी को न्यायालय में उपस्थित होकर अपने प्रकरण में पैरवी हेतु उचित अवसर प्रदान किये गए। न्यायालय द्वारा रूक-रूक कर तीन बार आवाज भी लगवाई गई बावजूद भी कोई उपस्थित नहीं हुआ न ही न्यायालय समय समाप्ति तक कोई उपस्थित हुआ।

जिससे जाहिर होता है कि प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के प्रति गंभीर नहीं है न ही प्रभावी पैरवी करना चाहते हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सूनाया गया।

प्रकरण फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(अपर्णा गुप्ता)

आई.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी

गिर्वा, उदयपुर